न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2018/00005

अनवान

1. श्री मोहन सिंह पिता मोती सिंह राजपूत, निवासी नेतावली, तह. झाड़ोल, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरूसिंह पिता हरिसिंह राजपूत, निवासी लीलावास, तह. झाड़ोल, जिला उदयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री भूरालाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 03-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम खाखराखेडा, तहसील झाडोल में आराजी संख्या 472 स्थित है, जिसमें से 1.20 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 17.12.2005 को उपखण्ड अधिकारी झाडोल के समक्ष आवेदन किया। आवंटन सलाहकार समिति की सहमति दिनांक 12.11.2005 को दिया जाना आवेदन में अंकित है। उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा आवेदन आदेश की तारीख व स्थान 17.11.2005 स्थान गोदाणा अंकित किया गया। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में करीब 40–45 वर्षो से लगातार चली आ रही है एवं प्रार्थी द्वारा भारी लागत लगाकर भूमि को आबादान किया है। उक्त आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची जारी नही की गयी। विपक्षी संख्या 1 के भूमि आवंटन का फर्म भरते समय उसके पिता के नाम 25 बीघा से भी अधिक भूमि थी। उक्त आवंटन में आवेदन करने से पूर्व से तिथि अंकित है, जो प्रथम दृष्टया ही मिसप्रजेन्टेशन है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में आवंटन सलाहकार समिति की दिनांक 12.11.2005 अंकित है, जबकि आदेशिका में दिनांक 17.12.2005 को आंवटन की राय होना अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि आंवटन नही किया गया है एवं न ही आवंटन उपरान्त विपक्षी संख्या 1 को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया है। प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है एवं आवंटन की पात्रता प्रथमिकता के तौर पर रखता है। आवंटन से पूर्व नियम 7 की पालना नही की गयी है एवं धारा 61, भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अनुसार तामिल नही कराई गयी है।

विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री हरिसिंह उपसरपंच थे, जिन्होने अपने पद का दुरूपयोग कर अपने पुत्र के नाम भूमि का आवंटन कराया है। विपक्षी संख्या 1 स्थानीय गांव का निवासी नही है, इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि मौजा खाखराखेडा, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 472 रकबा 1.20 हेक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को नियमानुसार पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया गया है। प्रार्थी का कोई पुराना कब्जा काश्त विवदित आराजीयात पर नही है। आवंटन उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर नियमानुसार कब्जा सुपुर्द किया है। आवंटन के समय विपक्षी संख्या 1 के पिता द्वारा अपने किसी पद का दुरूपयोग नही किया है। विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन नियमानुसार है तथा मौके पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा होने से उसके द्वारा बैंक से ऋण ले रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखा जावे।

प्रकरण में तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार झाडोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 556 दिनांक 13.03.2019 से प्रेषित मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व ग्राम खाखराखेडा, तहसील झाडोल के साबिक आराजी संख्या 472 हाल आराजी संख्या 906/472 रकबा 1.20 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में श्री भेरूसिंह पिता हरिसिंह के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। उक्त भूमि वर्तमान में आवंटी के कब्जे काश्त में नही होकर प्रार्थी श्री मोहनसिंह पिता मोती सिंह के कब्जे काश्त की हैं। तहसीलदार से मामले की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 282/2005 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करने हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होना, आवंटन की तिथियों में असमानता होना, आवंटन नियमों की पालना न होना, आवंटी के पिता द्वारा अपने उप–सरपंच पद का दुरूपयोग करना, मौका रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में होना आदि आधारो पर विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये विपक्षी को विधि अनुसार आवंटन होना, आवंटन पश्चात् भूमि काश्त योग्य बनाना, एवं विपक्षी का रेकर्डेड खातेदार हो जाना, आदि आधारों पर विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने हेतु अनुरोध किया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने बाबत् निवेदन किया एवं अनुरोध किया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14 (4)

की कार्यवाही मेन्टेनेबल नही है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

- आर.आर.टी. 2007 (1) पृष्ठ 18
- आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ 1240
- आर.आर.टी. 2008 (2) पृष्ठ 834

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली आदि का आवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा खाखराखेडा, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 472 मे से रकबा 1.20 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना, कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। इसके विपरित विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी पेनाल्टी की रसीदे वर्ष 1986, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एवं 2005 प्रस्तुत की है, जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पर आवंटन से पूर्व विपक्षी संख्या 1 का कब्जा निरन्तर रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही दिये जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी आवंटी भूमिहीन नही है एवं उसके पास पूर्व से भूमि उपलब्ध है, किन्तु मामले मे यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 मे वर्णित भूमिहीन कृषक की परिभाषा मे विपक्षी न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी अधिवक्ता प्रस्तुत करने मे असफल रहे है। प्रार्थी द्वारा तिथियों मे असामनता होने का उल्लेख किया है, जो प्रथम दृष्ट्या लिपिकीय त्रुटि होना पाई जाती है एवं उक्त आवंटन को मात्र मानवीय/लिपिकीय त्रुटि के आधार पर फ्रॉड आवंटन की श्रेणी में नही रखा जा सकता है। आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने से किसी खातेदार के

आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं। उपरोक्त समग्र तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा खाखराखेड़ा, तहसील झाड़ोल की साबिक आराजी संख्या 472 मे रकबा 1.2000हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 श्री भेरूसिंह पिता हरिसिंह के नाम पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल नम्बर 282/2005 से किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.01.08 13:01:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: